

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 सितम्बर 2017—भाद्र 17, शक 1939

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2017

क्र. एफ-25-37-2017-दस-3.—राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना 2343-2751-दस-3-89, दिनांक 30 मई 1989 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र में, भाग 4(ग) में दिनांक 30 जून 1989 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. प्रथम पैरा में,—

- (1) “सार्वजनिक नीलामी” के स्थान पर, शब्द “सार्वजनिक नीलामी अथवा इलैक्ट्रॉनिक ऑक्शन” स्थापित किए जाएं।
- (2) अंत में, निम्नलिखित पैरा अंतर्विष्ट किया जाएं, अर्थात्:—

“इलैक्ट्रॉनिक ऑक्शन में भाग लेने के लिये क्रेता को ई. प्रौक्ष्योर्मेंट के पोर्टल '<https://mpeproc.gov.in>' पर पंजीयन कराना होगा। यदि क्रेता राष्ट्रीयकृत ईमारती काष्ठ क्रय करना चाहता है तो क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त पंजीयन की प्रति पोर्टल पर अपलोड करना होगी”।

2. नियम एक में,—

(1) खण्ड (क) में,—

(क) शब्द “अपने हस्ताक्षर न करे” के स्थान पर, शब्द “अपने हस्ताक्षर न करे अथवा इलैक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर न करे” स्थापित किए जाएं।

(ख) अंक एवं शब्द “1000 रुपये” के स्थान पर, अंक एवं शब्द “5000 रुपये” स्थापित किए जाएं।

(2) खण्ड (ख) में, प्रथम वाक्य के पश्चात्, निम्नलिखित वाक्य अंतर्विष्ट किया जाए, अर्थात्:—

“इलैक्ट्रॉनिक ऑक्शन के मामले में, असफल बोली लगाने वाले क्रेता की बयाने की जमा रकम आगले कार्य दिवस में इलैक्ट्रॉनिक रूप से वापिस की जाएगी”।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैटन अनिल खेर, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2017

क्र. एफ 25-33-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-33-2017-दस-3, दिनांक 29 अगस्त 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैटन अनिल खेर, सचिव.

Bhopal, the 29th August 2017

No. F-25-37-2017-Ten-3.—The State Government hereby, makes following amendments in this department's notification No. 2343-2751-X-3-89, dated 30th May 1989 which was published in Madhya Pradesh Gazette in Part 4 (ग) dated the 30th June 1989, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In first para,—

- (1) For the words “public auction”, the words “Public Auction or Electronic Auction” shall be substituted.
- (2) At the end, following para, shall be inserted, namely:—

“Purchaser who want to participate in electronic auction have to register themselves on the e-procurement portal '<https://mpeproc.gov.in>' Purchaser who wishes to buy nationalized timber has to upload registration certificate issued by the Territorial Divisional Forest Officer on the portal”.

2. In rule 1,—

(1) in the clause (a),—

- (a) for the words, “unless he has signed”, the words, “he has signed or electronically signed” shall be substituted.
- (b) for letters and figure “Rs. 1000/-”, the letters and figure, “Rs. 5000/-” shall be substituted.

(2) in clause (b), after first sentence, the following sentence shall be inserted namely:—

“In case of electronic auction, the earnest money of the unsuccessful bidder shall be refunded on the next working day electronically”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPTAIN ANIL KHARE, Secy.